रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

80

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1

PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर, 27, 1980/पौष 6, 1902

No. 80] **NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 1980/PAUSA 6, 1902**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

New Delhi, the 27th December, 1980/*Pausa* 6, 1902 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 27th December, 1980, and is hereby published for general information:—

THE FOREST (CONSERVATION) ACT, 1980

No. 69 OF 1980

[*27th December*, 1980.]

An Act to provide for the conservation of forests and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Forest (Conservation) Act, 1980. — Short title, extent and commencement.

(*2*) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(*3*) It shall be deemed to have come into force on the 25th day of October, 1980.

2. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in a State, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing— — Restriction on the de-reservation of forests or use of forest land for non-forest purpose.

(*i*) that any reserved forest (within the meaning of the expression "reserved forest" in any law for the time being in force in that State) or any portion thereof, shall cease to be reserved;

(*ii*) that any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose.

Explanation.—For the purposes of this section "non-forest purposes means breaking up or clearing of any forest land or portion thereto for any purpose other than reafforestation.

Constitution of Advisory Committee.

3. The Central Government may constitute a Committee consisting of such number of persons as it may deem fit to advise that Government with regard to—

(*i*) the grant of approval under section 2; and

(*ii*) any other matter connected with the conservation of forests which may be referred to it by the Central Government.

Power to make rules.

4. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(*2*) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal and saving.

5. (*1*) The Forest (Conservation) Ordinance, 1980 is hereby repealed. 17 of 1980.

(*2*) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

R. V. S. PERI SASTRI,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980

6726 + 6727
30/7/85
Received from G. I. Press M 1961
On 2/
S.C. (Gazetted Wing)

रजिस्ट्री सं. डी(डीएन)127/88 REGISTERED No. D(DN)127/88

PO 1025
Am 25
B.D. 50
S.B. 125
PB 825
K.M. 1311
COMPLETED
27/2/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 1988/अग्रहायण 28, 1910
No. 91] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 1988/AGRAHAYANA 28, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 19th December, 1988/Agrahayana 28, 1910 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 17th December, 1988 and is hereby published for general information:—

THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT ACT, 1988
No. 69 OF 1988

[*17th December*, 1988.]

An Act to amend the Forest (Conservation) Act, 1980.

BE it enacted by Parliament in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Forest (Conservation) Amendment Act, 1988. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

69 of 1980. 2. In section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (hereinafter referred to as the principal Act),— Amendment of section 2.

(*a*) after clause (*ii*), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(*iii*) that any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or

Attested
23/12/14
Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

to any authority, corporation, agency or any other organisation not owned, managed or controlled by Government;

(*iv*) that any forest land or any portion thereof may be cleared of trees which have grown naturally in that land or portion, for the purpose of using it for reafforestation.";

(*b*) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:—

'*Explanation*.—For the purpose of this section "non-forest purpose" means the breaking up or clearing of any forest land or portion thereof for—

(*a*) the cultivation of tea, coffee, spices, rubber, palms, oil-bearing plants, horticultural crops or medicinal plants;

(*b*) any purpose other than reafforestation,

but does not include any work relating or ancillary to conservation, development and management of forests and wild life, namely, the establishment of check-posts, fire lines, wireless communications and construction of fencing, bridges and culverts, dams, waterholes, trench marks, boundary marks, pipelines or other like purposes.'.

Insertion of new sections 3A and 3B.

3. After section 3 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Penalty for contravention of the provisions of the Act.

"3A. Whoever contravenes or abets the contravention of any of the provisions of section 2, shall be punishable with simple imprisonment for a period which may extend to fifteen days.

Offences by authorities and Government departments.

3B. (*1*) Where any offence under this Act has been committed—

(*a*) by any department of Government, the head of the department; or

(*b*) by any authority, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the authority for the conduct of the business of the authority as well as the authority;

shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render the head of the department or any person referred to in clause (*b*), liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Attested

23/12/14

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence punishable under the Act has been committed by a department of Government or any authority referred to in clause (b) of sub-section (1) and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the department, or in the case of an authority, any person other than the persons referred to in clause (b) of sub-section (1), such officer or persons shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.".

S. RAMAIAH
Secy. to the Govt. of India.

Attested
24/12/14

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1988

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082023-247866
CG-DL-E-05082023-247866

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/ श्रावण 13, 1945 (शक)
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SRAVANA 13, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 4*th August,* 2023/*Sravana* 13, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 4th August, 2023 and is hereby published for general information:—

THE FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT ACT, 2023

(No. 15 of 2023)

[4*th August*, 2023]

An Act further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980.

Be it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

69 of 1980. **2.** In the Forest (Conservation) Act, 1980 (hereinafter referred to as the principal Act), after the long title and before the enacting formula, the following preamble shall be inserted, namely:— Insertion of preamble.

"Whereas, the importance of forests is to be realised to enable achievement of national targets of Net Zero Emission by 2070 and maintain or enhance the forest carbon stocks through ecologically balanced sustainable development;

AND WHEREAS, Nationality Determined Contribution targets of the country envisage creating carbon sink of additional 2.5 to 3.0 billion tons of CO_2 equivalent by 2030;

AND WHEREAS, the country envisages an increase in the forest and tree cover to one-third of its land area, which is to be given impetus with an enhanced growth trajectory;

AND WHEREAS, India has a rich tradition of preserving forests and their bio-diversity, and, therefore, enhancing forest based economic, social and environmental benefits, including improvement of livelihoods for forest dependent communities is envisaged;

AND WHEREAS, it is necessary to provide for provisions relating to conservation management and restoration of forests, maintaining ecological security, sustaining cultural and traditional values of forests and facilitating economic needs and carbon neutrality.".

Amendment of section 1.

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (*1*), for the words and brackets "Forest (Conservation) Act", the words and brackets "*Van* (*Sanrakshan Evam Samvardhan*) *Adhiniyam*" shall be substituted.

Insertion of new section 1A.

4. After section 1 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Act to cover certain land.

'1A. (*1*) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—

(*a*) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 or under any other law for the time being in force; 16 of 1927.

(*b*) the land that is not covered under clause (*a*), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October, 1980:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "Government record" means record held by Revenue Department or Forest Department of the State Government or Union territory Administration, or any authority, local body, community or council recognised by the State Government or Union territory Administration.

(*2*) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—

(*a*) such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;

(*b*) such tree, tree plantation or reafforestation raised on lands that are not specified in clause (*a*) or clause (*b*) of sub-section (*1*); and

(*c*) such forest land,—

(*i*) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the

case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or

(*ii*) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or

(*iii*) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.

(*3*) The exemption provided under sub-section (*2*) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government may, by guidelines, specify.'.

Amendment of section 2.

5. In the principal Act, section 2 shall be renumbered as sub-section (*1*) thereof and—

(*a*) in sub-section (*1*) as so renumbered,—

(*I*) in clause (*iii*), for the words "not owned, managed or controlled by Government", the words ", subject to such terms and conditions, as the Central Government may, by order, specify" shall be substituted;

(*II*) in the *Explanation,* for the long line occurring after clause (*b*), the following shall be substituted, namely:—

"but does not include any work relating to or ancillary to conservation, development and management of forests and wildlife, such as—

(*i*) silvicultural operations including regeneration operations;

(*ii*) establishment of check-posts and infrastructure for the front line forest staff;

(*iii*) establishment and maintenance of fire lines;

(*iv*) wireless communications;

(*v*) construction of fencing, boundary marks or pillars, bridges and culverts, check dams, waterholes, trenches and pipelines;

53 of 1972.

(*vi*) establishment of zoo and safaris referred to in the Wild Life (Protection) Act, 1972, owned by the Government or any authority, in forest areas other than protected areas;

(*vii*) eco-tourism facilities included in the Forest Working Plan or Wildlife Management Plan or Tiger Conservation Plan or Working Scheme of that area; and

(*viii*) any other like purposes, which the Central Government may, by order, specify.";

(*b*) after sub-section (*1*) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(*2*) The Central Government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose.".

Insertion of new section 3C.

6. In the principal Act, after section 3B, the following section shall be inserted, namely:—

Power of Central Government to issue directions.

"3C. The Central Government may, from time to time, issue such directions, to any authority under the Central Government, State Government or Union territory Administration, or to any organisation, entity or body recognised by the Central Government, State Government or Union territory Administration, as may be necessary for the implementation of this Act.".

DR. REETA VASISHTA,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

Kshitiz Mohan
Digitally signed by Kshitiz Mohan
Date: 2023.08.05 02:45:20 +05'30'

MGIPMRND—236GI(S3)—04-08-2023.

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(1988 में किये गये संशोधनों सहित)

वनों के संरक्षण तथा उससे सम्बन्धित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम :

भारत गणराज्य के इकत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 है।
   (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
   (3) यह 25 अक्टूबर, 1980 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन

2. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :—
   (1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में "आरक्षित वन" पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा ;
   (2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए :
   (3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए
   (4) किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से, पुनर्वनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जाए

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए "वनेत्तर प्रयोजन" से :—

(क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल, वाले पौधे या अन्य उद्यान कृषि

फसलों या औषधीय पौधों की खेती के लिए : और

(ख) पुनर्वरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, किसी वन भूमि या उसके प्रभाग का तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वनों और वन्य-प्राणियों के सरक्षण विकास और प्रबन्ध से सम्बन्धित या उसका आनुषंगिक कोई कार्य, अर्थात चौकियों, अग्नि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़, पुल और पुलियों, बांधों, जल छिद्रों खाई चिन्हों, सीमा चिन्हों, पाइप लाइनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है।"

सलाहकार समिति का गठन

3. केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के बारे में उस सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन कर सकेगी जो इतने व्यक्तियों में मिलकर बनेगी जितने वह ठीक समझे :–

(i) धारा 2 के अधीन अनुमोदन का प्रदान किया जाना : और

(ii) वनों के संरक्षण से सम्बन्धित कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय।

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति

"3क- जो कोई धारा 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन तक ही हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

प्राधिकरणों और सरकारी विभाग द्वारा अपराध

"3ख- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध—

(क) सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है वहां विभागाध्यक्ष; या

(ख) किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस प्राधिकरण के कारोबार के संचालन के लिए उस प्राधिकरण का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह प्राधिकरण भी,

ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा :—

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उस विभागाध्यक्ष को या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित 'कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था उस अपराध के निवारण

के लिए उसने सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न, किसी अधिकारी की या प्राधिकरण की दशा में, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति की, सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा अधिकारी या व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।"

नियम बनाने की शक्ति

4. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह वह अवधि एक सत्र अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति

5. (1) वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है: 1980 का 17

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

वन (संरक्षण) नियमावली, 1981
(मई, 1992 तक यथा संशोधित)

सा.का.नि. 719 : — केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : —

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) नियम, 1981 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाए सम्पूर्ण भारत पर है

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से

2. परिभाषा :– इन नियमों का जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (संरक्षण) 1980 का 69 (अभिप्रेत है) ।

(ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

(ग) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) "सदस्य" से समिति की कोई सदस्य अभिप्रेत है।

(ङ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

2. क-समिति का गठन : समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :–

(i)	वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रायल	अध्यक्ष
(ii)	अपर वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य
(iii)	संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण), कृषि मंत्रालय	सदस्य
(iv)	तीन विख्यती पर्यावरण विज्ञानी (गैर सरकारी)	सदस्य
(v)	वन उप महानिरीक्षक (वन संरक्षण) पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य-सचिव

(2) वन महानिरीक्षक की अनुपस्थिति में अपर वन महानिरीक्षक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

2. ख- गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन इस प्रकार होंगे :—

(i) गैर सरकारी सदस्य दो वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ii) गैर सरकारी सदस्य का पद धारण उस समय समाप्त हो जायेगा जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वह त्याग-पत्र दे देता है, विकृतचित हो जाता

है, दीवालिया हो जाता है या जिसे ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अन्तंग्रस्त हो।

(iii) उप नियम (ii) में उल्लिखित किसी भी कारण से होने वाली सदस्यता की रिक्ति दो वर्ष की अवधि के अनवसित भाग के लिए सरकार द्वारा भरी जायेगी।

(iv) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमों और किए गये आदेशों के अधीन समूह "क" के सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य अधिकतम दर पर संदेह होगा :—

परन्तु किसी ऐसे सदस्य को, जो संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य है, यात्रा और दैनिक भत्ता का संदाय संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 या सम्बद्ध राज्य विधान मंडल के सदस्यों से सम्बन्धित विधि के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. समिति के कार्यों का संचालन :—

(1) अध्यक्ष जितनी बार भी आवश्यक हो, समिति का अधिवेशन बुलाएगा किन्तु ऐसा अधिवेशन एक मास जो कम से कम एक बार होगा।

(2) समिति का अधिवेशन सामान्यतः नई दिल्ली में होगा किन्तु ऐसे मामले में, जहाँ अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि वन भूमि में किसी ऐसे स्थल या स्थलों का निरीक्षण जिसे जिन्हें ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है जो वन से सम्बन्धित नहीं है। नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव या प्रस्तावों पर विचार करने के सम्बन्ध में आवश्यक या समीचीन है, वह यह निदेश दे सकेगा कि समिति का अधिवेशन दिल्ली से भिन्न किसी ऐसे स्थान पर होगा जहां स्थल या स्थलों का ऐसा निरीक्षण सुविधाजनक रूप से किया जा सके।

(3) अध्यक्ष समिति के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन की जिसमें वह उपस्थित होगा अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष किसी अधिवेशन से अनुपस्थित है और अधिवेशन को स्थगित करना समीचिन नहीं है तो समिति का ज्येष्ठतम सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर, जिसके बारे में समिति से सलाह देने की अपेक्षा की जाती है, समिति अधिवेशन में विचार किया जाएगा परन्तु अति आवश्यक

मामलों में, यदि समिति का अधिवेशन एक मास के भीतर आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो अध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि आवश्यक कागज सदस्यों को किसी नियत तारीख तक उनकी राय जानने के लिए भेज दिये जाएं।

(5) समिति के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति तीन से होगी।

4. (1) प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, जो धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है, अपने प्रस्ताव इन नियमों से संलग्न प्रारूप में केन्द्रीय सरकार को भेजेगा : परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें वन भूमि या उसके किसी भाग में पुनः वनरोपण के लिए उसका प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को साफ करना अन्तर्वलित है, कार्यकरण योजना/प्रबन्ध योजना के रूप में भेजे जाएंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा, अर्थात् :—

सचिव भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें, 20 हेक्टेयर तक की वन भूमि अंतर्वलित है और ऐसे प्रस्ताव जिनमें वन भूमि या इसके किसी भाग में पुनः वनरोपण के लिये उसका प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों का साफ करना अर्न्तवलित है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सम्बद्ध प्रादेशिक कार्यालय के मुख्य संरक्षक/वन संरक्षक को भेजे जाएंगे।

5. केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति

(1) केन्द्रीय सरकार नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव समिति को, उसके बारे में सलाह देने के लिए भेजेगी, यदि अर्न्तवलित वन भूमि का क्षेत्र 20 हेक्टेयर से अधिक हैं। परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें वन भूमि या उसके किसी भाग में पुनः वनरोपण के लिये उसका प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को साफ करना अर्न्तवलित है, समिति को उसकी सलाह के लिए नहीं भेजे जाएंगे।

(2) समिति उपनियम (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपनी सलाह देते समय सभी या निम्नलिखित विषयों में से किसी का सम्पर्क ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

(क) वनेत्तर प्रतोजन के लिये उपयोग में लाए जाने वाले वन भूमि आरक्षित प्राकृतिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारणय, आरक्षित जीव स्थल का भाग है या संकटापन्न या संकस्थ वनस्पति और जन्तु जाति के निवास स्थान या उत्पन्न या कटे हुए जलाशय क्षेत्र का भाग है।

(ख) किसी वन भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए है या ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है जो किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने निवास स्थानों में विस्थापित हो गये हैं ;

(ग) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि उसने सभी अनुकल्पो पर विचार कर लिया है और यह कि इन परिस्थितियों में अन्य कोई अनुकल्प साध्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र की आवश्यकता इस प्रयोजन के लिये न्यूनतम है; और

(घ) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी समतुल्य क्षेत्र की भूमि के अर्जन और उसके वनरोपण के लिए अपने खर्च पर अवस्था करने का वचन बद्ध करता है।

(3) समिति सलाह देते सयय किसी विनेत्तर प्रयोजन के लिये किसी वन भूमि के प्रयोग पर किन्हीं ऐसी शर्तों या निबन्धनों का सुझाव दे सकेगी जो उसकी राय पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हों।

6. समिति की सलाह पर केन्द्रीय सरकार की कार्रवाई :–

केन्द्रीय सरकार, नियम 5 के अधीन दी गई समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे अतिरिक्त जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे सशर्त या शर्तों के बिना प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी।

"प्रारूप"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व मन्जूरी लेने का प्रारूप (नियम 4 देखें)

1. परियोजना ब्यौरे :

   1. उन प्रस्ताव तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है . . . .

   2. अपेक्षित वन क्षेत्र, निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र तथा

विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी) द्वारा अधिप्राप्ति किया जाना है जो उप वन संरक्षक के रैंक से नीचे न हो) . . . . .

3. परियोजना की कुल लागत . . . . . .

4. परियोजना को वन क्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देते हुये और उनको नामंजूर करने के कारण बताएं।

5. वित्तिय और सामाजिक लाभ . . . .

6. कुल लाभान्वित आबादी . . . .

7. सृजित रोजगार . . . . . .

2. परियोजना/स्कीम का स्थान

1. राज्य/केन्द्र शाशित प्रदेश ....

2. जिला . . . .

3. वन प्रभाग, वन खंड, कम्पार्टमेंट, आदि . . . . .

3. मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा . . . .

4. शामिल वन भूमि का ब्यौरा :—

1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत आरक्षित, सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) . . . .

2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पतिजात और प्राणिजात का ब्योरा . . . . .

3. वनस्पति की सघनता . . . . .

4. वृक्षों का प्रजातिवार तथा ब्याज श्रेणीवार सार . . . . .

5. भूमि कटाव के लिए क्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का एक हिस्सा है अथवा नहीं . . . .

6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृति आरक्षित जीवमंडल रिजर्व, आदि का एक हिस्सा है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन्यजीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणियों को संलग्न करें) . . . .

7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वन भूमि का मदवार ब्यौरा . . . . .

8. क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ / संकटापन्न वनस्पतियों व प्राणिजातों की प्रजातियां . . . .

9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तुओं के लिए एक वासस्थल है या उनके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है . . . .

10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व . . . .

5. परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा :-

1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या . . . .
2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या. . .
3. विस्तृत पुनर्वास योजना . . . .

6. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :–
1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए शिनाख्त किए गये गैर-वन क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार . . .
2. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए शिनाख्त गैर-वन/अवक्रमित वन क्षेत्र तथा निकट वर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र . . . .
3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों, कार्यान्वियन एजेंसी, समय सूची लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम . . . .
4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय . . . .
5. वनरोपण के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु शिनाख्त किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएं जो कि उप वन संरक्षक के रैंक के नीचे का अधिकारी न हो) . . .
6. क्षतिपूरक वनरोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) . . . .

7. पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइन प्रस्तावों के लिए
1. पारेषण लाइन की कुल लम्बाई . . . .
2. वन क्षेत्र से होकर गुजरने व साल लाइन की लम्बाई . . . .
3. मार्ग का अधिकार . . . .
4. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या . . . .
5. वन क्षेत्र में किये जाने वाले टावरों की संख्या . . . .
6. पारेषण टावरों की ऊँचाई . . . .

8. सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाएं (केवल सिंचाई पन विद्युत परियोजनाओं के लिए)
1. कुल आवाह क्षेत्र . . . .
2. कुल कमान क्षेत्र . . . .
3. कुल जलाशयं स्तर . . . .
4. उच्च बाढ़ स्तर . . . .
5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर . . . .
6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि कृषित भूमि, चरागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)

7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र . . . .

8. पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र . . . .

9. पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र . . . .

10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र . . . .
(केवल मझौली और बड़ी परियोजनाओं के लिए)

11. न्यूनतम निकास स्तर पर जलमग्न क्षेत्र . . . .

12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना . . . .

13. कुल वित्तीय परिव्यय और आवाह क्षेत्र
सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में ब्यौरा . . . .

9. सड़क/रेल लाइनों के बारे में ब्यौरे . . . .
(केवल सड़क रेल लाइनों के प्रस्तावों के लिए)

1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई और चौड़ाई ओर अपेक्षित वन क्षेत्र . . . .

2. सड़क की कुल लम्बाई . . . .

3. पहले बनाई जा चुकी सड़क लम्बाई . . . .

4. वन क्षेत्र में होकर गुजरने वाली सड़क लम्बाई . . . .

10. खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)

1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वन क्षेत्र . . . .

2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि . . . .

3. वन क्षेत्र और गैर/वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भंडार

4. खनिज/कच्चे धातु वार्षिक अनुमानित उत्पादन . . . .

5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत) . . .

6. चरणबद्ध सुधार योजना . . . .

7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा उसका ढलान . . .

8. पट्टा सलेख की प्रति संलग्न की जाए . (केवल नवीकरण हेतु) ....

9. नियुक्त किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या ....

10. निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल ....

क) खनन ....

ख) खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण ....

ग) अधिभार को जमा करना ....

घ) औजारों और मशीनों का भण्डारण ....

ङ) भवनों, बिजली घरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण ....

च) शहर/आवास कालोनियां ....

छ) सड़क/रज्जू मार्ग/रेलवे लाइनों का निर्माण ....

ज) अपेक्षित वन क्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना ....

11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक में उल्लिखित जिन गतिविधियों के लिए वन भूमि की माँग की गई है, उनको वन क्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किए जाने के कारण है ....

12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या ....

13. बारहमासी नदियों के मार्गों, राष्ट्रीय और राज्य राज मार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्वों से जनन क्षेत्र की दूरी ....

14. पुनः प्रयोग के लिए उपरिमृदा के भण्डारण की प्रक्रिया ....

15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव ....

11. लागत लाभ विश्लेषण

12. क्या पर्यावरणीय स्वीकृत/अपेक्षित है (हाँ/नहीं)
यदि हाँ, तो क्या उसके लिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए गए है (हाँ/नहीं)

13. क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं)
यदि हाँ तो—
(1) शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे ....
(2) अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी ....
(3) गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्रवाई ...
(4) क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ...

14. कोई अन्य सूचना ....

15. संलग्न किए गये प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे

16. निम्नलिखित पहलुओं के बारे में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार, अर्थात्
(1) इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने कील और अन्य वन उत्पाद;
(2) क्या जिला, इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्मनिर्भर है; और
(3) निम्नलिखित पर प्रस्ताव के प्रभाव—
(क) ग्रामीण आबादी के लिए जलाने की लकड़ी की आपूर्ति
(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका
(4) कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या करने के लिए मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें ।

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया हैं और अपेक्षित क्षेत्र के लिए मांग वन भूमि की न्यूनतम माँग है ।"

राज्य सरकार/प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी-1 वनस्पति और प्राणिजात के ब्यौरे भेजते समय प्रजातियों को उनके वैज्ञानिक नामों से वर्णित किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी-2 यदि ऊपर उपलब्ध कराया गया स्थान किसी सूचना के उल्लेख के लिए पर्याप्त नहीं है तो कृपया ब्यौरे/प्रलेखों को अलग से संलग्न करें।

(सं. 5-5/86. एफ.सी.)
र. राजामणि, सचिव

पाद टिप्पणी–

मुख्य नियम दिनांक 20 जुलाई, 1981 के सा.का.नि. संख्या 719 के द्वारा अधिसूचित किए गये थे, तथा तत्पश्चात्–

(1) दिनांक 28 दिसम्बर, 1987 के सा.का.नि. 14,

(2) दिनांक 26 जून, 1989 के सा.का.नि. 640 (अ) द्वारा संशोधित किए गये थे।

अनुबन्ध-3

खनन पट्टों के सम्बन्ध में विधि विभाग की सलाह

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रवर्तन से पूर्व पट्टे पर दी गई वन भूमि पर किए जा रहे खनन कार्य के सम्बन्ध में पट्टे की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा-2 के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी अपेक्षित नहीं है।

3. पट्टे का नवीनीकरण वास्तव में एक नया पट्टा देना ही है। (देखें : दिल्ली विकास निगम बनाम दुर्गा चन्द कौसिश, ए.आई.आर 1973 एस.सी. 2609) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व मन्जूरी तभी अपेक्षित होगी जब उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व दिए गये खनन पट्टे का इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात नवीनीकरणकिया जाना हो

3. बिहार राज्य सरकार बनाम बंशी राम मोदी (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च और न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के अनुसार मूल रूप से मंजूर किए गये पट्टे की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व खनन के लिए पट्टे पर दी गई वन भूमि को यदि अधिनियम के प्रवर्तन से पहले ही खोदा जा चुका हो उसमें से कोई नए खनिज खोदने और निकालने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा-2 के तहत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत लेनी अपेक्षित नहीं होगी। अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा-2 के तहत केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी अपेक्षित होगी।

अनुबन्ध-4

वन भूमि पर अवैध कब्जों का विनियमतीकरण

कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वन भूमि पर अवैध कब्जे करना पूरे देश के वन संसाधनों के लिए घातक है। नौवें दशक के शुरू में तत्कालीन कृषि मंत्रालय द्वारा एकत्र की गई सांख्यिकीय सूचना से पता चलता है कि लगभग एक दशक पहले देश में लगभग 7 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे थे। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 1980 से पहले कई राज्यों ने समय-समय पर इस प्रकार के अवैध कब्जों को विनियमित किया था तथा 1951 और 1980 के मध्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए लगभग 43 लाख वन भूमि उपयोग में लाई गई तथा इसके आधे से अधिक वन भूमि कृषि उपयोग में लाई गई थी। समय-समय पर अवैध

कब्जों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों के निर्णयों ने वन क्षेत्रों में अवैध कब्जे करने के लिए प्रेरणा का कार्य किया है और इस हानिकर कार्य के विरुद्ध प्रभावी तथा सम्मिलित प्रयास की कमी के कारण समस्या आज भी वैसी ही बनी है जैसे पहले थी।

2. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में भी वन भूमि पर अवैध कब्जों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को महसूस किया गया है और उसमें कहा गया है कि इस तरह के अवैध कब्जों को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों, जिनमें से कुछ ने अभिव्यक्त किया है कि वे 1980 से पहले की अवधि के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए वे वचनबद्ध हैं, पर पड़े दबावों को देखते हुए मंत्रालय द्वारा इस निर्णय के कार्यान्वयन की जाँच की गई है। इस मामले को मई, 1989 में हुए वन मंत्रियों के सम्मेलन में विशेष रूप से उठाया गया और कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा इसकी जाँच की गई। वन मंत्रियों के सम्मेलन तथा उपयुक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, पहले किये गये अवैध कब्जों की पुनरीक्षा तथा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में इस संबंध में लिए गये निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया जाता है :—

1 **1980 से पहले के अवैध कब्जे जिनके बारे में राज्य सरकार अवैध कब्जों को "मात्र" श्रेणी को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय ले चुकी थी।**

1.1 ऐसे वे मामले हैं, जिनमें राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कुछ पात्रता मानदण्ड बनाये थे तथा इस प्रकार के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए निर्णय ले लिया था किन्तु उन्होंने 25.10.1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पहले पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपने निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया था।

1.2 ऐसे सभी मामलों की अलग-अलग पुनरीक्षा की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को राजस्व, वन तथा आदिवासी कल्याण विभागों का एक संयुक्त दल गठित करना चाहिए और उसे समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूर्ण करना चाहिए।

1.3 ऐसे मामलों में, जिनमें प्रस्तावों को अभी प्रतिपादित किया जाता है यहाँ निर्दिष्ट सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निष्कर्ष को भविष्य में झगड़ों को रोकने के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाए।

1.4 विनियमित किये जाने के लिए प्रस्तावित सभी अवैध कब्जों वाली भूमियों का अच्छी तरह सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

1.5 जिन अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने का प्रस्ताव है वे अवैध कब्जे 25.10.1980 से पहले के होने चाहिए। यह उस समय के वन अधिनियम के अन्तर्गत जारी पहली ऑफेंस रिपोर्ट से पता लगाया जाना चाहिए।

1.6 भूमि पर अवैध कब्जा होना चाहिए तथा अवैध कब्जे वाली भूमि निरन्तर अवैध

काबिज के अधिकार में होनी चाहिए ।

1.7 अवैध कब्जा करने वाला राज्य द्वारा पहले से निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अनुसार विनियम के लाभों को प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए ।

1.8 जहाँ तक संभव हो विनियमित किये जाने के लिए प्रस्तावित दूर-दूर फैले हुए अवैध कब्जों को वनों की बाहरी सीमाओं के पास समेकित/पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए ।

1.9 अवैध कब्जों के विनियमन के लिए जिन क्षेत्रों की बाह्य सीमाओं को अधिसूचित किया जाना है, उनका भूमि पर स्थाई सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन किया जाना चाहिए ।

1.10 इस श्रेणी के अंतर्गत विनियमित किये जाने के लिए प्रस्तावित सभी मामले एक प्रस्ताव में शामिल किये जाने चाहिए और उनका जिलेवार ब्यौरे दिये जाने चाहिए ।

1.11 अवैध कब्जों के प्रस्तावित विनियमन के सभी मामले के साथ वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार क्षति पूरक वनरोपण के प्रस्ताव होने चाहिए ।

1.12 कुछ विशेष ढलानों पर कृषि करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

2. 1980 के पहले के अवैध कब्जों की अपात्र श्रेणी जिनमें राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय ले लिया था ।

2.1 1980 के बाद के अवैध कब्जों के समान समझा जाना चाहिए और उन्हें विनियमित किया जाना चाहिए ।

3. 24.10.1980 के बाद किये गये अवैध कब्जे

3.1 24.10.1980 के बाद किये गये अवैध कब्जों को किसी भी हालत में विनियमित नहीं किया जाना चाहिए । अवैध कब्जे करने वालों की बेदखली करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए । तथापि, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार ऐसे व्यक्तियों को एकत्रित करके इस मंत्रालय के दिनांक 1.6.1990 के पत्र सं. 6-21/89-वन नीति में सुझाए गए तरीके से वृक्षारोपण कार्यों में लगाकर उन्हें वैकल्पिक आर्थिक आधार प्रदान कर सकती है ।

स्पष्टीकरण

वनों पर अवैध कब्जों के ऊपर बताए कतिपय मामलों को नियमित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । दिशा-निर्देशों का पैरा 1.1 जिसमें अवैध कब्जों के उन मामलों को स्पष्ट किया गया है जो विशिष्ट शर्तों के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए पात्र होंगे, को नीचे प्रस्तुत किया गया है :–

"ऐसे वे मामले हैं, जिनमें राज्य सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कुछ पात्रता मानदण्ड बनाये थे तथा इस प्रकार के अवैध कब्जों को विनियमित करने के लिए निर्णय ले लिया था किन्तु उन्होंने 25.10.1980 को वन (संरक्षण अधिनियम के लागू होने से पहले पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपने निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया था" ।

2. इस सम्बन्ध में यह संदेह व्यक्त किये गये हैं कि क्या पात्रता फार्मूले, जिसके द्वारा पहले के कुछ अवैध कब्जों को विनियमित किया गया, के अनुसार 25.10.1980 तक किये सभी अवैध कब्जे विनियमित किये जा सकते हैं।

3. उपरोक्त पैरा को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी अवैध कब्जे के विनियमित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो पूर्व शर्तें लगाई गई हैं :–

(क) राज्य सरकार ने अवैध कब्जों को विनियमित करने के सम्बन्ध में निर्णय 25.10.1980 से पहले ले लिया हों; और

(ख) निर्णय किसी पात्रता मापदण्ड के सन्दर्भ में होना चाहिए। सामान्यत: अवैध कब्जा करने वालों के सामाजिक और आर्थिक स्तर अवैध कब्जे की अवस्थिति और विस्तार, अवैध कब्जे के कट ऑफ डेट आदि से सम्बन्धित होना चाहिए।

4. यह देखा जाएगा कि जिन अवैध कब्जों पर निर्धारित शर्तों के अधीन विनियमित किये जाने के लिए विचार किये जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अवैध कब्जे हैं जो अवैध कब्जों को नियमित करने के बारे में 25.10.1980 से पूर्व किये गये निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये पात्रता मापदण्डों को पूरा करते हैं इसका उद्देश्य 25.10.1980 से पूर्व लिये गए उन निर्णयों के कार्यान्वयन की अनुमति देने तक सीमित है/जिनका कार्यान्वियन बन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बन जाने के कारण नहीं किया जा सका। अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विनियमित करने के लिए "पात्र" के रूप में जिन अवैध कब्जों पर विचार किया जा सकता है वे 25 10.1980 से पहले के होने चाहिए। किन्तु 25.10.1980 से पहले के सभी अवैध कब्जे नियमित किया जाने के लिए पात्र नहीं होंगे-वे "अपात्र" इसलिए हो सकते हैं या तो वे पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते होंगे या 25.10.1980 से पूर्व लिए गये किसी निर्णय के अन्तर्गत नहीं होंगे। इस प्रकार यदि किसी राज्य में अवैध कब्जों को नियमित करने सम्बन्धी निर्णय केवल 25.10.1980 से पूर्व की तारीख तक के अवैध कब्जों पर ही लागू होते हैं तो अवैध कब्जों को नियमिय किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य सरकार अब उस तारीख और 25.10.1980 के बीच हुए अवैध कब्जों का सर्वेक्षण करेगी और नियमित किये जाने का प्रस्ताव रखेगी। बाद के अवैध कब्जे, यद्यपि 25.10.1980 के पहले किये गये थे, उस तारीख से पहले किये गये नियमन सम्बन्धी किसी निर्णय के अधीन नहीं आते हैं इसलिए इस अवस्था में उनको नियमित करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

5. तद्नुसार, राज्य सरकार 25.10.1980 से पूर्व की अवधि के केवल ऐसे निर्णयों के कार्यान्वियन के लिए करंवाई करे जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बन जाने के कारण कार्यान्वित नही किये जा सके और उन निर्णयों तथा उनमें निर्धारित पात्रता मापदण्डों के अनुसार अवैध कब्जों के नियमित करने के प्रस्ताव रखें। हमारे दिशा-निर्देशों के अनुसार अब ऐसे किसी अवैध कब्जों को नियमित करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो 25.10.1980 से पूर्व लिए गये किसी निर्णय के अन्तर्गत नहीं आते हैं, भले ही वह कब्जा उस तारीख से पहले ही क्यों न कर लिया गया हो।

वन क्षेत्रों में पारेषण लाइन बिछाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त वन (संरक्षण अधिनियम), 1980

1. जहां वन क्षेत्रों के ऊपर से गुजरने वाली पारेषण लाइनों को नहीं टाला जा सकता है, वहां इनका सरेखण इस प्रकार से किया जाए जिसमें पेड़ों की कटाई कम से कम हो।
2. वन क्षेत्रों के ऊपर खीची गई लाइन में, जहाँ तक संभव हो, कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए
3. (1) वन भूमि पर पारेषण लाइन के लिए अधिकृत मार्ग की अधिकतम चौड़ाई निम्नलिखित होगी :—

पारेषण वोल्टेज (कलोवाट)	अधिकृत मार्ग की चौड़ाई (मीटर)
11	7
33	15
66	18
110	22
132	27
220	35
400	52
800	85

(2) प्रत्येक चालक के नीचे टेंशन स्ट्रिंजिग उपकरण को ले जाने के लिए तीन मीटर चौड़े क्षेत्र में कटाई की अनुमति दी जाए। इस प्रकार की पट्टियों वृक्षों की कटाई की जानी होगी, परन्तु तार लगाने का कार्य पूरा होने के पश्चात प्राकृतिक पुनर्जनन होने दिया जाएगा। जहाँ बिजली से सम्बन्धित सफाई बनाए रखना आवश्यक हो, वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई/ठूंठ/छंटाई की जाएगी। एक वाहर पट्टी को साफ रखा जाएगा ताकि पोषण लाइन का रख-रखाव किया जा सके।

(3) अधिकृत मार्ग के भीतर अधिकतम 52 मीटर की शेष चौड़ाई में चालक और वृक्षों के बीच निम्नलिखित न्यूनतन सफाई रखते हुये विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिए आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई अथवा छंटाई की जाएगी :—

वोल्टेज (कि. वा.)	चालकों और वृक्षों के बीच न्यूनतम सफाई (मीटर
11	2.6
33	2.8
66	3.4
110	3.7
132	4.0
220	4.6
400	5.5

ऊपर उल्लिखित न्यूनतम सफाई का हिसाब लगाते समय चालकों के झुझाव को ध्यान में रखा जाना होगा।

4. जिस वन में नारियल या इसी प्रकार के ऊँचे वक्ष हों, अधिकृत मार्ग की चौड़ाई केन्द्रीय विद्युत बोर्ड के परामर्श से क्रम सं० 3 में दर्शाई गई चौड़ाई से अधिक रखने की अनुमति दी जा सकती है।

अनुबन्ध-6 (क)

उन प्रस्तावों की श्रेणी जिन पर लागत लाभ विश्लेषण लागू होता है

क्र०सं०	प्रस्ताव की प्रकृति	लागू/लागू नहीं	टिप्पणी
1.	सभी श्रेणियों के प्रस्ताव जिनमें मैदानी क्षेत्रों में 20 हे० और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 हे० से कम वन भूमि शामिल है।	लागू नहीं	इन प्रस्तावों पर मामला दर मामला और महत्वपूर्ण निर्धारण के आधार पर विचार किया जाता है।
2.	रक्षा प्रतिष्ठान प्रयोजनों और तेल की खोज	लागू नही	इन क्षेत्रों को प्रदान की गई राष्ट्रीय प्राथमिकता को देखते हुए वनेत्तर प्रयोजन के लिए अति-अल्प वन भूमि के उपयोग सुनिश्चित करने में मदद के लिए प्रस्तावों का विवेचनात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।
3.	वासस्थल, औद्योगिक एककों की स्थापना पर्यटकलॉजों/परिसरों और अन्य भवनों का निर्माण	लागू नहीं	ये गतिविधियाँ वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्षतिकारक है अतः नीति के अनुसार इन प्रस्तावों पर कम ही विचार किया जाएगा।
4.	सड़कें, पारेषण लाइन, लघु, मझौली और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, खनन गतिविधियाँ, रेल लाइन, माइक्रोवेव स्टेशन आटोरिपीयर सेंटर, टी. वी. टावर आदि सभी अन्य प्रस्ताव जिनमें मैदानी क्षेत्रों में 20 हे० और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 हे० से अधिक वन भूमि शामिल है। भूमि का वनेत्तर उपयोग जनहित में है।	लागू	ये वे मामले हैं जिनमें यह निर्धारित करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण आवश्यक है कि क्या वन भूमि का वनेत्तर उपयोग जनहित में है।

वनों की क्षति के मूल्यांकन के लिए पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	प्रस्ताव का स्वरूप		
		सड़कें, पारेषण लाइन और रेल लाइन	लघु सिंचाई परियोजनाएं पत्थर/धातुओं का उत्खनन	मझौली और बड़ी सिंचाई जल विद्युत, बड़ी खनन व अन्य विविध परियोजनाएं
	2	3	4	5
1.	इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और लघु उत्पाद के मूल्य की वार्षिक आधार पर क्षति। इसमें उन लोगों के वार्षिक श्रम की क्षति भी शामिल है जो इन साधनों से अपनी जीविका और मजदूरी कमाते हैं।	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।
2.	चारे की क्षति सहित पशुपालन उत्पादकता की क्षति	वही	वही	वही
3.	मानव पुनर्वास बस्ती की लागत	वही	वही	वही
4.	वन भूमि पर अवस्थित जन-सुविधाओं और प्रशासनिक आधारभूत ढांचों (सड़कें, भवन, स्कूल, दवाखाना, विद्युत लाइन, रेल मार्ग आदि) को क्षति जिनके लिए यदि परियोजना के कारण इन सुविधाओं को स्थानान्तरित किया गया तो वन भूमि आवश्यक होगी।	वही	वही	वही

1	2	3	4
5.	पर्यावरण की क्षति : (भू-क्षरण, जलीय चक्र वन्यजीव वासस्थल, सूक्ष्म जलवायु पर प्रभाव परिस्थितिकीय संतुलन में गड़बड़ी)		यद्यपि क्षति के निर्धारण के लिए मूलतः तकनीकी निर्णय ही लागू होंगे। नियमानुसार एक हेक्टेयर सघन वन (1.0 सघनता दर) से 50 वर्षों की अवधि में 126.74 लाख रु० पर्यावरणीय मूल्य प्राप्त होगा। सघनता के साथ-साथ मूल्य घटता जाएगा, उदाहरणार्थ यदि सघनता 0.4 हेक्टेयर है तो मूल्य 50.696 लाख रुपये होगा। अतः कोई परियोजन जिसमें 0.4 सघनता वाले एक हेक्टेयर वन की कटाई आवश्यक है उसमें 50 वर्ष की अवधि में 50.696 लाभ रु० मूल्य से अधिक की वित्तीय आय होगी। इस रचनात्मक लागत को लाभ अनुपात माना जा सकता है। यदि बैंक दर में काई वृद्धि होती है तो पूर्वानुमानित पर्यावरणी मूल्य के आंकड़ों में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन बैंकदर की वृद्धि के समानुपाती होगा।
6.	बेदखलियों की तकलीफ		एक बेदखल के पुनर्वास की सामाजिक लागत (बेदखली को आवास, रोजगार और सामाजिक सेवाएं मुहैया करने पर होने वाले संभावित व्यय के अलावा) उसे न हटाए जाने की स्थिति में दो वर्ष में उसके द्वारा अर्जित आय से 1.5 गुना अधिक बैठती है।

अनुबन्ध-6 (ग)

क्र.सं.	पैरामीटर	प्रस्ताव का स्वरूप: सड़कें, पारेषण लाइन और रेल लाइनें	खनन परियोजनाएं	सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाएं व अन्य
1.	विशिष्ट परियोजना के कारण उत्पादकता में वृद्धि	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।
2.	अर्थव्यवस्था को लाभ	मूल्य अनुमान	वही	वही
3.	लाभान्वित की संख्या	वही	मूल्य अनुमान	मूल्य अनुमान
4.	रोजगार संभावनाएं	वही	वही	वही
5.	जहाँ व्यवहार्य हो गैर-वनभूमि पर सुविधा हासिल करने की लागत	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।	मात्रा निर्धारित की जाए और वित्तीय रूप में व्यक्त की जाए।
6.	वन भूमि को उपयोग में लाने से (क) कृषि (ख) पशु उत्पादन की क्षति	वही	वही	वही
7.	विस्थापितों को पुनर्वास की लागत क्योंकि विस्थापन के लिए मुआवजे की राशि से भिन्न राशि दी जाती है।	वही	वही	वही
8.	निर्माण अवधि के दौरान वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले मजदूरों को जलाने की लकड़ी की निःशुल्क आपूर्ति की लागत।	वही	वही	वही